



2026:AHC-LKO:4677-DB

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ**

रिट - सी संख्या - 547 सन 2026

राम बिलास यादव

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव राजस्व उत्तर प्रदेश लखनऊ
एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	अशोक कुमार मौर्य, प्रियांशी मौर्य
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता, शैलेंद्र सिंह चौहान

न्यायालय संख्या - 1

**माननीय न्यायमूर्ति राजन राँय
माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी**

1. अधिवक्ता श्री शैलेंद्र सिंह चौहान ने प्रतिवादी संख्या 4 और 5 की ओर से अपना वकालतनामा दाखिल किया है। इसे अभिलेख में ले लिया गया है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार मौर्य को, राज्य के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता को और प्रतिवादी संख्या 4 और 5 के विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेंद्र सिंह चौहान को सुना गया।
3. याचिकाकर्ता का आरोप है कि प्रतिवादी संख्या 4 और 5 ने उसकी भूमि से उसे बेदखल करने का प्रयास किया है। हालांकि, प्रतिवादी संख्या 4 और 5 के विद्वान अधिवक्ताओं को न्यायालय को सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं कि याचिकाकर्ता को नगर निगम की भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस दिया गया था। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

तहत कार्यवाही शुरू कर दी है। इसलिए, उनके निर्देशों के अनुसार, उपरोक्त कार्यवाही के समाप्त होने तक नगर निगम, लखनऊ में आगे की कार्यवाही नहीं की जाएगी।

4. प्रतिवादी संख्या 4 और 5 के विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेंद्र सिंह चौहान द्वारा दिए गए बयान के अनुसार रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

5. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के तहत कार्यवाही लंबित रखने वाले प्राधिकारी/न्यायालय को इस संबंध में वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए यथाशीघ्र इस पर विचार करके निर्णय लेना चाहिए, जब तक कि कोई अन्य कानूनी बाधा न हो।

6. पक्षकार उपरोक्त कार्यवाही में सहयोग करेंगे।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राय]

जनवरी 21, 2026

आर.के.पी.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।